

बिहार विधान सभा सचिवालय

षोडश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र  
दिनांक 02 मार्च, 2020

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक  
व्यय विवरण से संबंधित  
कटौती प्रस्ताव

## माँग संख्या-01

### आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,44,47,17,000/- (एक अरब चौवालीस करोड़ सैतालीस लाख सत्रह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-3. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-02

### आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 18,88,67,000/- (अठारह करोड़ अठ्ठासी लाख सड़सठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 5-6. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-03

### आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

7. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,03,35,23,000/- (एक अरब तीन करोड़ पैंतीस लाख तेईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 8-9. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-04

### आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

10. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 56,00,000 /- (छप्पन लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-08

### आय-व्ययक शीर्षक-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

11. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 45,88,000 /- (पैंतालीस लाख अट्ठासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 12-13. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-09

### आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

14. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,51,40,33,000/- (दो अरब एकावन करोड़ चालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 15-16. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-10

### आय-व्ययक शीर्षक-उर्जा विभाग

17. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'ऊर्जा विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 31,74,000 /- (इक्कतीस लाख चौहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 18-19. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-11

### आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

20. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,00,000/- (तेईस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-12

### आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

21. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 64,37,01,000 /- (चाँसठ करोड़ सैंतीस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 22-23. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-15

### आय-व्ययक शीर्षक-पेंशन

24. प्रभारी मंत्री, पेंशन प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पेंशन" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,000/- (दस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-16

### आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

25. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,00,000 /- (दस अरब) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 26-27. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-18

### आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

28. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 65,14,000/- (पैसठ लाख चौदह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 29-30. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-19

### आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

31. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 38,71,56,000 /- (अड़तीस करोड़ एकहतर लाख छप्पन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 32-33. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-20

### आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

34. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,46,01,38,000 /- (पाँच अरब छियालीस करोड़ एक लाख अड़तीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 35-36. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-21

### आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

37. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,66,59,17,000 /- (नौ अरब छियासठ करोड़ उन्सठ लाख सत्रह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 38-39. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-22

### आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

40. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 28,91,27,000 /- (अठाईस करोड़ एकानवे लाख सताईस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।  
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 41-42. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-23

### आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

43. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,02,52,32,000 /- (एक अरब दो करोड़ बावन लाख तेईस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।  
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 44-45. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-25

### आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

46. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 24,73,18,000 /- (चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख अठारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।  
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
47. श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-26

### आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

48. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,88,97,000 /- (तेरह करोड़ अठ्ठासी लाख सन्तानवें हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 49-50. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-27

### आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

51. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,37,50,000 /- (तीन करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
52. श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की विधि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-30

### आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

53. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 37,12,000 /- (सैंतीस लाख बारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
54. श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-31

#### आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

55. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,00,000 /- (दो लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

### माँग संख्या-35

#### आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

56. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,33,000 /- (तेईस लाख तेतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 57-58. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-36

#### आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

59. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 45,68,00,000 /- (पैंतालीस करोड़ अड़सठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 60-61. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-37

#### आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

62. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 63-64. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-38

#### आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

65. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,15,00,000 /- (तेरह करोड़ पंद्रह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 66-67. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-39

#### आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

68. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,17,00,00,000 /- (ग्यारह अरब सत्रह करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 69-70. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-40

### आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

71. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,76,95,000 /- (आठ करोड़ छिहत्तर लाख पंचानवें हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 72-73. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-41

### आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

74. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,50,00,03,000 /- (एक अरब पचास करोड़ तीन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 75-76. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-42

### आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

77. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 22,76,80,10,000/- (बाईस अरब छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख दस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 78-79. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

80. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए " अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,000 /- (दस करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

81. श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

82. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,00,000 /- (तेईस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

83. श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की गन्ना नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

84. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,16,30,000 /- (नौ करोड़ सोलह लाख तीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 85-86. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-47

### आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

87. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2000/- (दो हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 88-89. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-48

### आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

90. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 33,81,41,000 /- (तीस करोड़ एकासी लाख एकतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 91-92. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-49

### आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

93. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,82,60,10,000/- (चौदह अरब बिरासी करोड़ साठ लाख दस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 94-95. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-44

#### आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

80. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए " अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,000 /- (दस करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

81. श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-45

#### आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

82. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,00,000 /- (तेईस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

83. श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की गन्ना नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-46

#### आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

84. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,16,30,000 /- (नौ करोड़ सोलह लाख तीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 85-86. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-47

### आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

87. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2000/- (दो हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 88-89. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-48

### आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

90. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 33,81,41,000 /- (तैंतीस करोड़ एकासी लाख एकतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 91-92. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-49

### आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

93. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,82,60,10,000/- (चौदह अरब बिरासी करोड़ साठ लाख दस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 94-95. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-50

#### आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

96. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,69,00,000 /- (दो करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 97-98. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-51

#### आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

99. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,58,14,70,000 /- (तीन अरब अन्दावन करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 100-101. श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2020- 867 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2020 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूषण कुमार झा)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2020- 867 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2020 ई०।  
प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः  
माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

(भूषण कुमार झा)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2020- 867 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2020 ई० ।  
प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भूषण कुमार झा)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।